न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 65 / 2020

1. श्रवण राम पुत्र सुगनाराम जाति सांसी निवासी चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर
2. अन्नाराम पुत्र सुगनाराम जाति सांसी निवासी चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. हड़मान पुत्र सुगनाराम जाति सांसी निवासी चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. सुशीलादेवी पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चक 24 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

1. लाधूराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहः नोखा हाल चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री मखनसिंह राठौड़ , श्री दिलीपसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी सं0 1 के नाम चक 22 केजेडी का मु0नं0 4 / 37 के किला 9 ता 16 में 08.00 बीघा कमाण्ड , प्रार्थी सं0 2 के नाम से मुरब्बा नं0 4 / 37 के किला नं0 1 ता 8 में कुल 08.00 बीघा कमाण्ड, प्रार्थी सं0 3 के नाम से मुरब्बा नं0 4 / 37 के किला नं0 17 ता 25 में कुल 7.19 बीघा कमाण्ड व प्रार्थी सं0 4 के नाम मुरब्बा 4 / 36 के किला नं0 16, 22 ता 25 में कुल 05.00 बीघा कमाण्ड भूमि है। प्रार्थीगण को अपनी—अपनी उक्त कृषि भूमि में आने—जाने के लिए कोई कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी के मुरब्बा सं0 4 / 44 में कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि तथा उक्त भूमि के किला नं0 21 ता 25 से वर्षो से चालू रास्ता है जो कि वर्तमान में चालू है, जो प्रार्थी सं0 2 को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए किला नं0 5 के टच होता है और उसी रास्ते से प्रार्थी सं0 1 ता 3 को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए रास्ता मिल जायेगा तथा प्रार्थी सं0 4 को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए उक्त चालू रास्ता किला नं0 25 को टच करता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 4 / 44 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2 / 2 बिस्वा इसप्रकार कुल 10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी हाजिर अदालत वकालतन या असालतन नहीं आया इसलिए अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला पत्नी भंवरसिंह के नाम चक 22 केजेडी में मु0नं0 4/36 के किला नं0 16, 22 ता 25 कुल 05.00 बीघा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी ने मुरब्बा 4/44 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ते बाबत् आवेदन किया है उसमें मौके पर मु0नं0 4/44 में किला नं0 21 ता 25 में 9/10 फीट का रास्ता मौके पर चल रहा है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उक्त रास्ता काफी समय से चालू स्थिति में है तथा आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त रकबे पर मौके पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं है तथा न ही राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 22 केजेडी के मु0नं0 4/44 के किला नं0 21 ता 25 पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी सं0 1 को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी सं0 1 उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)